जनसुनवाई

बान्दनवाडा, (निसं)। राज्य सरकार के आदेशानुसार गुरुवार को आयोजित उपखंड स्तरीय अटल जन सेवा शिविर में विभिन्न 40 परिवाद दर्ज किए गए। अतिरिक्त जिला कलक्टर केकड़ी चंद्रशेखर भंडारी की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में राजस्व के 5,पंचायत राज के 6,जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 9, व अन्य 2 यानि कुल 40 परिवाद आएं,जिनको दर्ज कर सम्बंधित विभागो को निस्तारण के लिए भेजकर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज किया गया।

आकार ले रहा है अजमेर आईटी पार्क, बड़े-छोटे भूखण्ड और सुविधाएं होंगी, नामी कंपनियां आएगी

- होटल, पार्क, पार्किंग, फेसेलिटी एरिया भी होंगे
- आईटी कंपनियों से साधा सम्पर्क, अजमेर का बढ़ेगा कद

अजमेर, (कासं)। अजमेर के विकास और बिजनेस की संभावनाओं को आगे ले जाने वाला अपना आईटी पार्क अब आकार लेने लगा है। रीको ने आईटी पार्क को विकसित करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। यहां आईटी कंपनियों के लिए बड़े-छोटे आकार के भूखण्ड, होटल, पार्क, पार्किंग और शॉपिंग कॉम्पलैक्स जैसी सुविधाएं भी होगी। आईटी पार्क के लिए जिला, राज्य व देश में कार्यरत आईटी कंपनियों से सम्पर्क साधा जा रहा है। रीको इनवेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रीको के अधिकारियों से आईटी पार्क की प्रगति की बैठक ली। देवनानी ने उन्हें निर्देश दिए कि आईटी पार्क की भूमि, लेआउट और इसके प्रमोशान का कार्य तेज किया जाए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बजट में अजमेर को आईटी पार्क की सौगात दी है। बजट घोषणा के साथ ही आईटी पार्क के लिए माकड़वाली में भूमि भी आवंटित हो गई है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस पार्क को विकसित करना है। राज्य सरकार के स्तर से समन्वय कर काम कराया जाएगा। रीको के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि अजमेर में प्रस्तावित आईटी पार्क सीकर रोड़ पर माकड़वाली क्षेत्र में 11.15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे रीको द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे नवाचार और विकास के लिए एक केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर रीको के प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली।

शिविर आयोजित: अजमेर में माह के द्वितीय गुरूवार को आयोजित ब्लॉक स्तरीय अटल जन सेवा शिविर में 57 प्रकरण निस्तारित कर आमजन को राहत प्रदान की गई।

मृत्यु दिनांक घोषणा

मेरी माताजी दाखा बाई पत्नी स्व. मूलचंद खंडेलवाल निवासी रामगंज अजमेर की मृत्यु दिनांक 21/09/2023 को निवास स्थान पर ही हो गई थी जिसका मैने पूर्व में किसी भी विभाग से पंजीयन एवं कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाया है अतः अब में मेरी माताजी दाखा बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जिला तहसील कार्यालय अजमेर में आवेदन कर रहा हूं जिस किसी को आपति हो अपनी आपति 7 दिवस में तहसील कार्यालय अजमेर में प्रस्तुत करे।
- चंद्र किशोर खंडेलवाल, रामगंज अजमेर

कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला -अजमेर (राज)

क्रमांक / नपकि / स्टोर / 2025 / 02 दिनांक 30.04.2025

ई-निविदा सूचना संख्या - 01/2025-2026

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना के तहत परिषद क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक स्थलो, दीवारो व डिवाईडरो पर रंग रोशन व पेन्टिग का कार्य करने हेतु विभिन्न प्रकार के कलर पेन्ट ब्रष इत्यादि सामग्री आपूर्ति कार्य हेतु सामग्री क्रय / सेवाओं में इच्छुक एवं अनुभवी संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योर्मेन्ट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन दर संविदा हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 03.05.2025 को प्रातः 09.00 बजे से तथा प्राप्त करने की दिनांक 13.05.2025 को सायं 06.00 बजे तक एवं निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

यूबीएन नं. DLB2526A0913

सभापति, नगर परिषद, किशनगढ़ — आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़

राज.संवाद / सी / 25 / 1785

PUBLIC NOTICE
(Loss of Property Documents)

Notice is hereby given that the original Sale Deed pertaining to the property situated at Khasra No. 562 and 1455/570, Village Salawatiya, Tehsil Bijoliya, District Bhilwara, Rajasthan, executed by Shri Dinesh S/o Shri Kesho Ram Meena and Shri Ram Singh S/o Shri Tej Ram Meena in favour of Shri Labh Chand S/o Shri Prabhu Lal Jain, and registered at the Sub-Registrar Office, Bijoliya on 24.07.2013 under Registration No. 2013001346, has been lost.

A report in this regard has been lodged with the Rajasthan Police under FIR L.R. No. 2757490/2025.

Any person having any knowledge or information about the whereabouts of the said Sale Deed is kindly requested to contact.

HEMANT SHARMA (ADVOCATE)

कार्यालय पंचायत समिति मसूदा (ब्यावर)

क्रमांक: पसम./भंडार/2025/639 — मत्सय आखेट सूचना — दिनांक: 06/5/2025

पंचायत समिति में वर्ष 2025-26 हेतु शेष रहे तालाबों का मत्सय आखेट एवं बिलायती बंबूल निलामी दिनांक 13.05.2025 को 11.00 बजे तक धरोहर राशि 2000 एवं फार्म शुल्क 500 जमा कराकर भाग लेने हेतु आमंत्रित है। विस्तृत सूचना एसपीपीपोर्टल पर उपलब्ध है।

NIB NO:- ZAJ2526A0403

प्रधान, पंचायत समिति मसूदा — विकास अधिकारी, पंचायत समिति मसूदा

कार्यालय नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर राजस्थान

E-mail np pushkar.nagarpalika@gmail.com — सदर बाजार बड़ी घाट के पास पुष्कर — Ph -01452773025

क्रमांक: न.प.पु./सामान्य/25/241 — उजरदारी सूचना — दिनांक: 08/5/2025

निम्न आवेदनकर्ता ने अपनी सम्पति के धारा 90-क के तहत पट्टे के लिए आवेदन किया है। जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त कार्यवाही में कोई आपति हो तो अपनी आपति विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर ठोस सबुत मय दस्तावेज के आधार पर नगर परिषद पुष्कर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद कोई आपति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	सम्पति का पता	प्रयोजन	क्षेत्रफल
1	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद मालू एवं प्रणव मालू पुत्र श्री दिलीप कुमार मालू	ग्राम बासेली के खसरा नं. 989/1244 सलासर बालाजी विहार कॉलोनी देवनगर रोड महागुरु आश्रम के पास बांसेली पुष्कर	आवासीय	8100 वर्गमीटर

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ) छोटी खाटू जिला डीडवाना-कुचामन

क्रमांक:- भू.अ/2025/662 — सार्वजनिक सूचना — दिनांक- 02.05.2025

जो कि प्रार्थी श्री राजूराम पुत्र आशाराम दतक पुत्र भागीया उर्फ भागूराम जाति, बलाई निवासी रुवां तहसील छोटी खाटू ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम रुवां के वर्तमान खसरा नम्बर 1044/90,581,87,88,89 व 90 कुल रकबा 9.1500 हैक्टयर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि श्री भागीया श्रीकूनानू जाति बलाई निवासी रुवां के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसकी गोदनामा उसके हक में लिखा हुआ है। जो अपंजीकृत है। गोदनामाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उक्त भूमि का इंतकाल प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाए। उक्त प्रकरण इस न्यायालय मे जेरकार है जिसमे तारीख पेशी 16-05-25 मुकर्रर है। अत :किसी व्यक्ति को एतराज हो तो नियत तारीख पर स्वयं या जरिये वकील उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजर ने मियाद कोई एतराज मान्य नही होगा । यह नोटिस आज दिनांक 02-05-25 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रांक से जारी किया गया ।

तहसीलदार (भू.अ.) छोटीखाटू

अतिक्रमण के कारण पैदल चलना हुआ दूभर

अरांई (निसं) । कस्बे की मुख्य सड़क अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है। दुकानदारों ने सड़क के दोनों ओर साइन बोर्ड लगाकर, दुकान का समान सजाकर पैदल चलने तक रास्ता नहीं छोड़ा हुआ। इससे राहगीरों, वाहन चालकों के लिए यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है। अति व्यस्ततम इस सड़क पर लंबे समय से व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हर दिन कई लोग परेशानी उठाते हैं। लेकिन व्यवस्था सुधार को लेकर स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इससे आमजन में नाराजगी है। पेट्रोल पंप से लेकर रंगमंच तक जाने वाली सड़क कस्बे की लाइफ लाइन है। इसके दोनों ओर कई दुकानें है। उपखंड मुख्यालय होने के नाते बाजार में जरूरत का सामान उपलब्ध होने पर आसपास के गांवों से लोग यहां खरीदारी को आते हैं। यहां सुबह बाजार खुलने से शाम तक भीड़ रहती है। पर्व, त्यौहार के दिन खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ती है। मॉडल विद्यालय से लेकर रंगमच तक सीसी रोड बनी हुई है। इसके दोनों ओर पहले ही बहुत कम जगह बची हुई है। इस पर कई स्थानों पर दुकानदार सड़क तक समान फैलाकर पसरे हुए है। समान सड़क तक जमाने के कारण राहगीरों को मजबूरन सड़क पर पैदल चलना पड़ता है। इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यही हालत कस्बे की मालपुरा रोड सिरोंज रोड पर बनी हुई है। व्यस्ततम सड़क के पग-पग पर अतिक्रमण होने से वाहनों की भारी आवाजाही से लोगों के लिए पैदल गुजरना मुश्किल हो गया है। अरांई मुख्यालय पर उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति व पुलिस थाना होने कारण इस सड़क से अधिकारियों का दिन में कई दफा आना - जाना लगा रहता है। मगर ना तो पंचायत और ना ही अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। इससे लोगों में रोष व्याप्त है।

सैयद राग़िब चिश्ती को मिली उपाधि

अजमेर, (कासं)। सैयद फखर् काज़मी चिश्ती के पुत्र सैयद राग़िब चिश्ती को भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की है। उन्होंने अपना शोध कार्य डॉ दुष्यंत कुमार के निर्देशन में पूरा किया। उनका शोध विषय मानवाधिकार विधि में 'भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन' रहा।

सैयद राग़िब चिश्ती

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 (STSE-2024) कक्षा 10
राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE-2024) कक्षा 12
राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा (STSE-2024) कक्षा 12

STATE TALENT SEARCH EXAMINATION 2024 हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

कक्षा-10 तथा कक्षा-12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 (STSE-2024) का आयोजन रविवार दिनांक 29.06.2025 को प्रातः 09.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सभी जिला मुख्यालयों पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन करने की तिथिया निम्नानुसार है।

परीक्षा शुल्क (समयावधि अनुसार)	ऑनलाईन आवेदन करने एवं बैंक चालान मुद्रण करने की अंतिम तिथि	मुद्रित चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी मय प्रमाणपत्र तथा परीक्षा शुल्क का बैंक चालान एवम परीक्षार्थियों की सूची भिजवाने की अंतिम तिथि
बिना विलम्ब शुल्क	शुक्रवार 09.05.2025 से गुरूवार 15.05.2025 तक	शनिवार 17.05.2025	सोमवार 26.05.2025
बिना विलम्ब सहित	शुक्रवार 16.05.2025 से रविवार 18.05.2025 तक	मंगलवार 20.05.2025	

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय विद्यालय स्तर पर हुई त्रुटि यथा छात्र, पिता, माता के नाम, वर्तनी/फोटो/लिंग/भाषा/वर्ग में केवल ऑनलाईन संशोधन नि:शुल्क स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाईन संशोधन की तिथियां दिनांक 19.05.2025 से दिनांक 21.05.2025 तक रहेंगी।

परीक्षा शुल्क

परीक्षार्थी की श्रेणी	बिना विलम्ब शुल्क रू.	विलम्ब शुल्क सहित रू.
(1) सामान्य	300/-	350/-
(2) अनु. जाति/अनु. जनजाति/बी.पी.एल./नि:शक्त/CWSN (प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य)	175/-	225/-

विद्यालय द्वारा अग्रेषण शुल्क रूपये 20/- प्रति परीक्षार्थी अलग से लिया जायेगा। अन्य बोर्ड से सम्बन्धित विद्यालय आई.डी पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु I.T. & C शाखा के दूरभाष नं. 0145-2632865, 2627454 एवं ई-मेल द्वारा bser.pwd@gmail.com पर सम्पर्क करें। परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु उपनिदेशक (परीक्षा) से दूरभाष नं. 0145-2425770 पर एवं ई-मेल stse.bser@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। STSE 2024 का पाठ्यक्रम, विस्तृत विज्ञप्ति व अन्य जानकारी बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत कायमपुरा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांक -ग्रा.पं.कायमपुरा/महानरेगा/निविदा/2025-26/119 — दिनांक: 06.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

ग्राम पंचायत कायमपुरा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु संवेदकों से निविदा दिनांक 07.05.2025 से 16.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZAJ2526A0397
UBN NO:-ZAJ2526GLRC00454

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कायमपुरा — प्रशासक, ग्राम पंचायत कायमपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत कड़ैल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांक -ग्रा.पं.कड़ैल/महानरेगा/निविदा/2025-26/16 — दिनांक: 07.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

ग्राम पंचायत कड़ैल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु संवेदकों से निविदा दिनांक 07.05.2025 से 16.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZAJ2526A0399
UBN NO:-ZAJ2526GLRC00458

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कड़ैल — सरपंच, ग्राम पंचायत कड़ैल

कार्यालय ग्राम पंचायत गगवाना पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांक -ग्रा.पं.गगवाना/महानरेगा/निविदा/2025-26/09 — दिनांक: 07.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

ग्राम पंचायत गगवाना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु संवेदकों से निविदा दिनांक 07.05.2025 से 16.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZAJ2526A0400
UBN NO:-ZAJ2526GLRC00457

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गगवाना — प्रशासक, ग्राम पंचायत गगवाना

कार्यालय ग्राम पंचायत देवनगर पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांक -ग्रा.पं.देवनगर/महानरेगा/निविदा/2025-26/20 — दिनांक: 07.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

ग्राम पंचायत देवनगर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु संवेदकों से निविदा दिनांक 07.05.2025 से 16.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZAJ2526A0401
UBN NO:-ZAJ2526GLRC00455

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत देवनगर — प्रशासक, ग्राम पंचायत देवनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत चाचियावास पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण(अजमेर)

क्रमांक -ग्रा.पं.चाचियावास/महानरेगा/निविदा/2025-26/16 — दिनांक: 07.05.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2025-26

ग्राम पंचायत चाचियावास में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य विभिन्न योजनाओं के संचालित निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण सामग्री आपूर्ति हेतु ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु संवेदकों से निविदा दिनांक 07.05.2025 से 16.05.2025 तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी http://sppp.rajasthan.gov.in & http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

NIB NO:- ZAJ2526A0402
UBN NO:-ZAJ2526GLRC00459

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चाचियावास — प्रशासक, ग्राम पंचायत चाचियावास

तुरंत कार्रवाई कर बंद रास्ता खुलवाया

मसूदा, (निसं)। मसूदा तहसील के ग्राम श्यामगढ़ निवासी कोया पत्नी स्वर्गीय शंकर एवं कमलेश पुत्र शंकर ने जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खडगावत को एक शिकायत पत्र प्रस्तुत कर निजी आवास एवं खेत पर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध किए जाने की जानकारी दी।

शिकायत में बताया गया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3826 व 3827 पर स्थित है, जिसमें खसरा संख्या 3827 में उनका आवासीय मकान निर्मित है। आरोप लगाया गया कि ठााम श्यामगढ़ के ही निवासी सिकंदर पुत्र रोड़ा व लक्ष्मण पुत्र अली ने उनके मकान व खेत पर जाने का रास्ता जो कि सरकारी भूमि खसरा संख्या 3831 से होकर जाता है, उसे अवरुद्ध कर दिया और धमकी भी दी। पटवारी से संपर्क करने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई।जिला कलेक्टर डॉ. खडगावत ने मामले को गंभीरता से लिया।

'राज्य सरकार कृषक कल्याण के लिए कटिबद्ध'

अजमेर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है, इस दिशा में तारबंदी योजना में रियायत प्रदान करने से जिले में निराश्रित एवं जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए अब एक जगह पर 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी किसानों को योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से कांटेदार व चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए कांटेदार व चैनलिंक तारबंदी योजना के तहत पूर्व वर्षों में तारबंदी योजना के लिए एक ही जगह न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक था, लेकिन इस वर्ष विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में व्यक्तिगत एवं समूह में तारबंदी करवाने वाले किसान एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि कांटेदार एवं चैनलिक सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में यदि 10 या अधिक कृषक मिलकर 5 हैक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते है, तो सभी किसानों को 70 फीसदी अनुदान राशि के हिसाब से प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर 56 हजार रुपए की अनुदान राशि मिलेगी।

व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेराफेरी में न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को 60 फीसदी अनुदान प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48 हजार रुपए एवं सामान्य किसानों को 50 फीसदी अधिकतम 40 हजार रुपए का अनुदान तारबंदी पर कृषि विभाग से दिया जाएगा।

विद्युत समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

अजमेर, (कासं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संभाग स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को हाथी भाटा स्थित पावर हाउस में किया गया। इस जनसुनवाई की अध्यक्षता संभागीय मुख्य अभियंता मुकेश चंद बाल्दी ने की। जनसुनवाई में कुल 10 प्रकरण सामने आए, जिनमें से 7 प्रकरण टाटा पावर से संबंधित थे। जनसुनवाई के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं सीधे संभागीय मुख्य अभियंता के समक्ष रखीं, जिन पर तत्परता से कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। परिवादी रामा ने बताया कि वर्ष 2023 में उनके घर के पास स्थित तालाब में पानी भर जाने के कारण उनका बिजली मीटर बह गया। इसके बाद से टाटा पावर द्वारा उन्हें एवरेज के आधार पर बिल भेजा जा रहा है, जबकि उनका कहना है कि पिछले दो वर्षों से बिजली का कोई उपयोग नहीं किया गया है। इस पर संभागीय मुख्य अभियंता बाल्दी ने टाटा पावर को निर्देश दिए कि मामले की जांच कर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाए। परिवादी सुनीता ने 24 दिसंबर 2024 को 11 केवी लाइन व ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के लिए सहायक अभियंता नसीराबाद को आवेदन दिया था। उन्हें जानकारी मिली कि सहायक अभियंता द्वारा लगभग 9 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति के लिए अधीक्षण अभियंता कार्यालय भेजा गया है। सुनीता का कहना है कि पोल से लाइन खींचने की सुविधा उपलब्ध है और खर्च कम हो सकता है। इस पर बाल्दी ने सहायक अभियंता श्रीनगर को मौके का निरीक्षण कर अनुपालना रिपोर्ट के साथ एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। राजकीय महाविद्यालय को अस्थायी ट्रांसफार्मर देने के निर्देश - सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में स्थित ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के मामले में प्रोफेसर मनोज कुमार बत्रा ने अस्थायी ट्रांसफार्मर या विद्युत लाइन उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर बाल्दी ने टाटा पावर को निर्देश दिए कि नया ट्रांसफार्मर स्थापित होने तक विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए अस्थायी रूप से ट्रांसफार्मर लगाया जाए। साथ ही, इसके लिए नियमानुसार निर्धारित शुल्क वसूलने के भी निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान अशिक्षण अभियंता जीडी फुलवारी, अधीक्षण अभियंता (वाणिज्य) जी आर मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी रामचंद्र, टाटा पावर के चीफ कमर्शियल ऑफिसर सहित डिस्कॉम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

संभागीय मुख्य अभियंता मुकेश चंद बाल्दी ने की जनसुनवाई

कार्यालय ग्राम पंचायत बावडी पंचायत समिति,जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक- ग्रापंपी /निविदा/2025-26/04 — दिनांक :-08.05.25

ई-निविदा सूचना 02/2025-26

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज योजनान्तर्गत निम्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायत पीपलुन्द में सक्षम स्तर पर पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से सीमित निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(रू लाखों)	धरोहर राशि (रू)	निविदा शुल्क राशि रू	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्रों की भौतिक प्रति मय निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय
1.	सावर जाट के बाड़े से खाल की ओर नाला निर्माण कार्य	5.0	10000	400		
2.	गाडरी समाज के चारदीवारी व मिट्टी भराव कार्य ग्राम बावड़ी	5.0	10000	400		
3.	झालरा आंगनबाड़ी के पास छायाग्रह निर्माण कार्य	5.0	10000	400	19.05.2025 दोपहर 1.00 बजे तक	19.05.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक
4.	सगसजी के स्थान के पास छायाग्रह निर्माण कार्य ग्राम बावडी	5.00	10000	400		
5.	आंगनबाडी से भैरू गाडरी के मकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य	2.7	5400	400		
6.	पनघट की कुएं व नारायण बलाई के मकान के पास सीसी रोड निर्माण कार्य	4.00	8000	400		
7.	रामदेवजी मंदिर के पास भैरूजी के सामने चौक व श्मशानघाट परिसर में सीसी रोड निर्माण कार्य	2.8	5600	400		
8.	नाराना संपर्क सड़क से भंवर कुमावत के मकान की तरफ सीसी रोड निर्माण कार्य शिवपुरा	1.7	3300	200		
9.	बैरवा बस्ती में सीसी रोड निर्माण विस्तार कार्य झालरा	1.2	2400	200		
10	रावला रोड से मूलचंद साधु के मकान की ओर सीसीरोड मय नाली निर्माण कार्य	4.5	9000	400		

उक्त निविदा दिनांक 16.05.2025 को दोपहर 3.00 बजे से खोली जायेगी।

NIB NO:-ZBL2526A0290 — UBN NO:-ZBL2526WSOB00583 To ZBL2526WSOB00592

नोट-उक्त सीमित निविदा सूचना का विस्तृत विवरण मय निविदा दस्तावेज वैबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत, बावडी — प्रशासक ग्राम पंचायत, बावडी

कार्यालय ग्राम पंचायत पीपलुन्द पंचायत समिति,जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक- ग्रापंपी /निविदा/2025-26/18 — दिनांक :-07.05.25

ई-निविदा सूचना 02/2025-26

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज योजनान्तर्गत निम्न कार्यों हेतु ग्राम पंचायत पीपलुन्द में सक्षम स्तर पर पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से सीमित निविदाएँ निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत(रू लाखों)	धरोहर राशि (रू)	निविदा शुल्क राशि रू	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्रों की भौतिक प्रति मय निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने की अंतिम तिथि व समय
1.	ग्राम पंचायत पीपलुन्द नालियों की क्रासिंग जाली निर्माण कार्य	2.50	5000	200		
2.	ग्राम पंचायत पीपलुन्द कचरा संग्रहण व तार फॅंसिंग कार्य	5.00	10000	400		
3.	मियावाकी में सीसी ब्लॉक टीनशेड व गेट लगाने का कार्य ग्राम पीपलुन्द	4.95	9900	400	16.05.2025 दोपहर 1.00 बजे तक	16.05.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक
4.	सीसी रोड पीपलुन्द रामावि के अंदर व बहार चौक विस्तार पीपलुन्द	5.00	10000	400		
5.	भैसवाडा पीपलुन्द में पेयजल पाईप लाईन स्थापन कार्य ग्रा.प. पीपलुन्द	5.00	10000	400		
6.	सीसी रोड पालेश्वर मंदिर चार दिवारी के गेट से पालेश्वर मंदिर के गेट की तरफ	7.00	14000	400		
7.	सार्वजनिक सामुदायिक भवन विस्तार कार्य तेली समाज मौहल्ला	5.00	10000	400		
8.	पाल का मण्ड देवनारायण के पास पनघट एवं पशु खेली निर्माण कार्य पीपलुन्द	1.29	2580	200		
	Total	40.74	81480	2800		

उक्त निविदा दिनांक 16.05.2025 को दोपहर 3.00 बजे से खोली जायेगी।

NIB NO:-
UBN NO:-

नोट-उक्त सीमित निविदा सूचना का विस्तृत विवरण मय निविदा दस्तावेज वैबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पीपलुन्द — प्रशासक, ग्राम पंचायत, पीपलुन्द